



कार्यालय उप वन संरक्षक इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना स्टेज-1 छत्तरगढ़ (बीकानेर)

क्रमांक :- एफ () वन/सर्वे/उवसं/2022-23 7125

दिनांक :- 13/03/23

निमित्त:-

अपर महाप्रबन्धक,
NTPC, रिन्यूएबल एनर्जी, लिमिटेड
छत्तरगढ़।

विषय :- Diversion of 3.9007 ha. Forest Land for Forest Land in favour of NTPC, Energy Limited for Construction of 132KV S/C Transmission Line for Power Evacuation from 150MW Chhattargarh Solar Project of NTPC Renewable Energy Limited (A wholly owned subsidiary of NTPC Limited) to 220KV Chhattargarh Grid Sub Station District Bikaner in the State Rajasthan. (Proposal No. FP/RJ/TRANS/148899/2021)

{Proposal No. FP/RJ/TRANS/148899/2021}

संदर्भ:- शासन सचिव, राजस्थान का पत्रांक प.1 (69)वन/2022, जयपुर दिनांक 12.07.2022 एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जयपुर राजस्थान का पत्रांक 8बी-राज 043/2022 JPR दिनांक 18.08.2022 एवं आपका पत्रांक..... दिनांक 20.10.2022 (कार्यालय में प्राप्ति 22.11.2022) एवं कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर का पत्रांक एफ 12 (329) सर्वे/संमुवसं/2021-22/9454 दिनांक 28.12.2022 एवं कार्यालय पत्रांक 6286 दिनांक 19.01.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि आलोच्य प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पत्र संख्या-8 बी/राज 043/2022-जयपुर दिनांक 18.08.2022 से वनभूमि प्रत्यावर्तन हेतु जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना में निम्नानुसार कमियां पायी गयी हैं :-

1. बिन्दु संख्या ए-1 में anticipated cost increase संबंधी undertaking प्राप्त नहीं हुई हैं।
2. बिन्दु संख्या ए-2 में जमा राशि से Eco Class अनुरूप अन्यत्र गणना पाये जाने पर अन्तर राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा करवायी जायेगी। तदनुसार प्रयोक्ता अभिकरण undertaking प्रस्तुत की जावें।
3. बिन्दु संख्या ए-4 में प्राप्त वचनबद्धता प्रमाण-पत्र में वर्णित भाषा सैद्धान्तिक स्वीकृति के बिन्दु संख्या ए-4 से भिन्नता हैं।
4. बिन्दु संख्या ए-5 के अनुसार FRA under process हैं, जबकि आपके द्वारा प्रस्तुत Undertaking में वर्णित किया गया है कि "Complete Compliance of the FRA has been completed." इस प्रकार दोनों टिप्पणियों में एकरूपता नहीं हैं अतः Undertaking अनुसार टिप्पणी अपेक्षित हैं। बिन्दु संख्या ए-7 में KML E-Green Watch portal पर upload करें। तदनुसार Undertaking प्रस्तुत करें
5. बिन्दु संख्या बी- 3 में 12 हैक्टेयर Degraded Forest Land हेतु राशि 12 X 1,65,000 = 19,80,000/- रुपये बनती हैं। आप द्वारा पूर्व में जमा 19,78,272/- रुपये जमा करवाये गये हैं। अतः अन्तर राशि 1728/- रुपये जमा करावें तथा कमियों की पूर्ति तत्काल पूर्ण कर इस कार्यालय में भिजवाई जानी सुनिश्चित करें।

उक्तानुसार अनुपालना रिपोर्ट वांछित कमियों की पूर्ति हेतु मूल ही आपको लौटायी जा रही हैं। अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि वांछित पूर्ण अनुपालना यथाशीघ्र इस कार्यालय में भिजवायें।

संलग्न :- उक्तानुसार

भवदीय

(दिलीप सिंह राठौड़)

उप वन संरक्षक

इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना
स्टेज-प्रथम छत्तरगढ़ (बीकानेर)